न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– दावा संख्या 176/2018 (73/2017)

निर्णय दिनांक :– 4-10-2019

शुभकरण पुत्र मोहनलाल कौम ब्राहमण दायमा निवासी रतनगढ जिला चूरू

... वादी

बनाम

1. सोहनराम पुत्र झुथांराम कौम जाट निवासी पड़िहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रतनगढ़।

...प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री बृजमोहन चारण अभि. वादी
2. श्री रोहिताषसिंह अभि. प्रति. सं. 1
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन,घोषणा एवं रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एवं 88 व 188 आर.टी. एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 136 एवं 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती हेतु दिनांक 17.10.2017 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. दावा वादिनी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पड़िहारा की रोही में ख.नं. 546 तादादी 44 बीघा 07 विश्वा भूमि में से 33 बीघा 05 विश्वा व 5 विश्वांसी भूमि वादी की खरीदशुदा भूमि है। जो कुल भूमि में 3/4 हिस्सा की 33 बीघा 5 विश्वा भूमि वादी के नाम व शेष 1/4 हिस्सा भूमि मालाराम व जैठाराम के नाम दर्ज हो गई।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

3. भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान नये खसरा नं. बनाकर वादी की भूमि के वर्तमान ख.नं. 920 तादादी 33 बीघा 05 विश्वा की जगह 32 बीघा 07 विश्वा दर्ज कर दिया और जेठाराम व मालाराम द्वारा जो झुंथाराम को विक्रय की गई उसके वर्तमान ख.नं. 921 कायम करके रकबा 11 बीघा 02 विश्वा की जगह 12 बीघा दर्ज कर दिया। भू प्रबन्ध विभाग को किसी भी खातेदार की भूमि कम या ज्यादा करने का अधिकार नही था। झुंथाराम को 11 बीघा 02 विश्वा भूमि ही विक्रय की गई थी। झूंथाराम के देहान्त के बाद वर्तमान ख.नं. 921 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से पांती में आ गई । भू प्रबन्ध विभाग की गलती व लापरवाही से वर्तमान ख.नं. का रकबा कम व ज्यादा किया गया है। गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 मुझ वादी की भूमि में नाजायज रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। दिनांक 14.10.2017 को प्रतिवादी सं. 1 को रेकार्ड दुरूस्त करवाने का कहा तो दुरूस्ती करवाने हेतु ईन्कार हो गया तथा एलानिया धमकी दी की तुम्हारे खेत में से 1 बीघा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करूगां।

4. अतःदावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जावे कि वर्तमान ख.नं. 920 रोही पड़िहारा का रकबा 33 बीघा 05 विश्वा तथा खं.न. 921 का वास्तविक रकबा 11 बीघा 02 विश्वा है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया राजस्व रेकार्ड वादी के अधिकारों के मुकाबले शुरू से ही शून्य व प्रभावहीन है। प्रतिवादी सं. 2 को रेकार्ड दुरूस्त कर ख.नं. 920 की भूमि 32 बीघा 07 विश्वा की जगह 33 बीघा 05 विश्वा व ख.नं. 921 की 12 बीघा की जगह 11 बीघा 02 विश्वा दर्ज करें। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वादी के हिस्सा की 33 बीघा 05 विश्वा भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करें।

5. प्रतिवादीगण दिनांक 7.11.2017 को उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दावे को स्वीकार करने में कोई आपति नही की है। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार से बिन्दुवार रिपोर्ट दिनांक 20.8.2019 को प्रस्तुत की गई।

6. बहस विद्वान अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलीभातिं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से गत

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

ख.नं. 546 तादादी 44 बीघा 7 विश्वा भूमि में से 33 बीघा 5 विश्वा 5 विश्वांसी भूमि वादी द्वारा दिनांक 24.5.1966 को क्रय की गई थी। इस खसरा की शेष रही 11 बीघा 02 विश्वा भूमि झूंथाराम को विक्रय की गई है। जो वर्तमान में उसके वारिस प्रतिवादी सं. 1 सोहनराम के नाम दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सं. 2030–49 से स्पष्ट है कि पैमाईस के दौरान गत ख.नं. 546 के वर्तमान ख.नं. 920 व 921 बने है। ख.नं. 920 का 32 बीघा 07 विश्वा तथा ख. नं. 921 का 12 बीघा रकबा दर्ज किया गया है जबकि प्रतिवादी सं. 1 के पिता झूथाराम ने 11 बीघा 02 विश्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र खरीद की है। इस प्रकार पैमाईस के दौरान वादी का हिस्सा कम तथा प्रतिवादी का रकबा अधिक अकिंत किया गया है। वादी का वर्तमान ख.नं. 920 का रकबा 33 बीघा 5 विश्वा दुरूस्ती किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं. 1 सोहनराम की ओर से भी वादी के दावा को स्वीकार किया गया है तथा रेकार्ड दुरूस्ती में कोई आपति नही होना जाहिर किया गया है। तहसीलदार रतनगढ की रिपोर्ट में भी पैमाईस के दौरान रकबा गलत अकिंत किया जाना बताया गया है। इस प्रकार वादी का दावा डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का दावा अंतर्गत धारा 136,88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ती एवं चिरनिषेधाज्ञा डिक्री किया जाता है। वादी का वादगत खेत ख.नं. 920 का रकबा 33 बीघा 05 विश्वा व प्रतिवादी सं. 1 सोहनराम का ख.नं. 921 का रकबा 11 बीघा 02 विश्वा घोषित किया जाता है। तहसीलदार रतनगढ को तदनुसार राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 5/10/2015 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)
रतनगढ (चूरू)

Judl. Cmp
Pan- IV-10

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - I)

आज अदालत उपखण्ड दण्डनायक मुकाम रतनगढ़

इजलास श्रीमती सावित्री स्वामी RAS

बुधाराम बनाम सोहनराम वगै.

दावा बाबत [illegible]

*मुकदमा नं. 174/208 (73/2011)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई तलब न्यायालय में

व हाजरी श्री [illegible] निनजानिब मुद्दई व श्री [illegible] निनजानिब मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

दावा अंतर्गत धारा 136, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत घोषणा, स्थाई [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] वादी का वादग्रस्त खेत खसरा नं 920 का रकबा 33 बीघा [illegible] व [illegible] सोहनराम का खसरा नं 921 का रकबा [illegible]

मिल्ग़ .... मुबलिग .... बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बदस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5 माह 10 2015

को जारी की गई

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा रतनगढ़ (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
[illegible]जह सबूत			महनताना वकील		
[illegible]कील			खर्चा गवाहान		
			फीस कमिश्नर		
			बाबत इजराय हुक्मनामा		
			मुतफर्रिक		
[illegible]न			मीजान		

Scanned by CamScanner

11 बीघा 02 बिस्वा घोषित किया जाता है तहसीलदार रतनगढ़ को तदनुसार राजस्व रेकार्ड दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2019.11.05 15:05:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: